



फाइल सं: 1-6/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/खंड-XV/587-95

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
(सामान्य प्रशासन / General Administration)



धर्मशाला – 176215 दिनांक: 02 फरवरी, 2022

कार्यालय आदेश

COVID-19 के मामलों में निरंतर कमी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या Rev(DMC)(C)20-2/2022-COVID 19-IV दिनांक 31 जनवरी, 2022 द्वारा गाइडलाइन्स / SoPs जारी की हैं, को विश्वविद्यालय में अंगीकार करते हुए समस्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को 03 फरवरी, 2022 से अपने संबंधित कार्यालयों में 100% उपस्थित से रहने के आदेश दिए हैं।

2. हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों में अकादमिक व प्रशासनिक कार्य पूर्व की भांति रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी छात्रों की संबंधित कक्षाएं एवं अध्यापन प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में दिनांक 03 फरवरी, 2022 से संचालित की जायेगी।
3. यह माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(प्रो. विशाल सूद)

कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)

दिनांक: 02 फरवरी, 2022

पृष्ठांकन: समसंख्या

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु:

1. उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
2. विभिन्न स्कूलों/विभागों/केन्द्रों के सभी अधिष्ठातागण/विभागाध्यक्षगण/निदेशकगण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
4. वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
5. परीक्षा नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
6. सिस्टम एनालिस्ट, धौलाधार परिसर-1, हि.प्र.के.वि. – कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
8. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर।
9. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय – कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)